प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,

विशेष सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,

कानपुर, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी, 2015**

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 मे प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन, रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाले परामर्शी सेवाओं पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन, रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं पर व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत कर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गई प्रक्रियानुसार सेट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि आहरित की जायेगी। उक्त आहरण-वितरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहॉ भी रखा जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन एवं यूपीडेस्को के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा मदवार व्यय-विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखा-शीर्षक '2852-उद्योग (आयोजनेत्तर)-07-दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलैक्ट्रानिक्स-06-यू.पी.डेस्को द्वारा प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन, रख-रखाव, संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराई जाने वाली परामर्शी सेवाएं-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त में बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव।

संख्याः 5/2015/16(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलैक्ट्रेट, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(बजट) अनुभाग-2।
8. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/लघु उद्योग अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/आई.टी. अनुभाग-1।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।